प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बयालीस ' [3/3/2016]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3792 के प्रश्नांश (क) के उत्तर का परिशिष्ट–"अ"

प्रश्न सं. [क्र. 3792]

राज्य के महानगरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु किये गये प्रयत्नों की जानकारी

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य के प्रमुख नगरों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सह प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वाणिज्य, रहवासी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का आंकलन करता है, प्रदेश के 14 स्थानों पर 35 बिन्दुओं पर वायु गुणवत्ता मापन किया जाता है। वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जाती है जो मानंकों का निर्धारण करते हैं। तथा वाहन उत्सर्जन मापन रिपोर्ट परिवहन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। शहरों में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण वाहन उत्सर्जन, व्यवसायिक गतिविधियॉं, चौराहों में सघन एवं अव्यस्थित यातायात, घरेलू ठोस अपशिष्ठों का सही रूप से निपटान नहीं होना आदि हैं। परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाकर निरन्तर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्नानुसार कार्य किये जा रहे है।

1. वाहनों को भारत–03 केटेगरी का ईधन प्रदाय किया जा रहा है। **(द्वारा पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय, भारत सरकार)**
2. शहरों में सीएनजी सप्लाई हेतु फिलिंग स्टेशन संचालित किये जा रहे है। (द्वारा– पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय, भारत सरकार)
3. वाहनों को प्रदायित किये जा रहे ईधन की गुणवत्ता की निरन्तर जॉच जारी है। (द्वारा–फूड एवं सिविल सप्लाई विभाग)
4. डीजल टेम्पो के स्थान पर एलपीजी आधारित मारूति ओमनी वाहन चलाए गए है। (द्वारा– परिवहन विभाग)
5. शहर में सीएनजी आधारित ऑटो रिक्शा एवं एलपीजी आधारित ऑटो रिक्शा संचालित किए गए है। (द्वारा– परिवहन विभाग)
6. 15 वर्ष पुराने लोक परिवहन वाहनों का लायसेंस नवीनीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। (द्वारा– परिवहन विभाग)
7. नगरीय ठोस अपशिष्ठ के दैनिक संग्रहण एवं निपटान हेतु डोर डू डोर कलेक्शन व्यवस्था की जा रही है। (द्वारा– नगर निगम)
8. महानगरों की सड़कों का विकास पुथपाथ का निर्माण आदि कार्य प्रगति पर है। (द्वारा– नगर निगम)
9. शहरों के आसपास औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना कराई गई है। **(म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
10. सभी लैड रिसाइकलिंग इकाईयों में बैग फिल्टर, वॉटर स्कबर, 30 मीटर चिमनी स्थापित कराई गई हैं। **(म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)**
11. उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की नियमित जॉच की जाती है।

....